

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016⁄पौष 30, 1937
No. 161]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 183(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 115 और 117 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातुः-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
115	34	उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री धाम से प्रारंभ होकर भटवारी, उत्तरकाशी,
		धरासू, नीर तरही, अंपाता, ऋषिकेष और हरिद्वार, उत्तर प्रदेश राज्य में
		नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज,
		कानपुर, मध्य प्रदेश राज्य में हमीरपुर, महोबा, छतरपुर, हीरापुर, दमोह,
		जबलपुर को जोड़ने वाला और रारा-44 के साथ लखनादोन के निकट अपने
		जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
117	334	उत्तराखंड राज्य में रारा-34 पर हरिद्वार के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर रूड़की को मुजफ्फरनगर से जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में
		रारा-34 के साथ मेरठ के निकट अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला
		राजमार्ग

332	334सी	उत्तर प्रदेश राज्य में नया रारा-34 पर बुलंदशहर के निकट अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर और रारा-9 के साथ गाजियाबाद के निकट अपने जंक्शन पर
		समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/43/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 1031 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 183(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 115 and 117 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
115	34	The highway starting from Gangotri Dham connecting Bhatwari, Uttarkashi, Dharasu, Near Terhi, Ampata, Rishikesh and Haridwar in the State of Uttrakhand, Najibabad, Bijnore, Meerut, Hapur, Bulandshahr, Aligarh, Etah, Kannauj, Kanpur, Hamirpur, Mahoba in the State of Uttar Pradesh, Chattarpur, Hirapur, Damoh, Jabalpur and terminating at its junction with NH-44 near Lakhnadon in the State of Madhya Pradesh.
117	334	The highway starting from its junction with NH-34 near Haridwar connecting Roorkee in the State of Uttarakhand, Muzaffarnagar and terminating at its junction with NH-34 near Meerut.
332	334C	The highway starting from its junction with new NH-34 at Bulandshahar and terminating at its junction with NH 9 at Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh."

[F. No. NH-14012/43/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031 (E), dated 17th April, 2015.